(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3907–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 226/निगरानी/2009–10.

रामप्रकाश पटेल तनय स्व0 सूर्यदीन पटेल
निवासी ग्राम पाड़र थाना व तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

सतपाल पटेल तनय श्री गेंदलाल पटेल
निवासी ग्राम पाड़र थाना व तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

–––––अनावेदक

– – – – – –

श्री रमाशंकर सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रवीण मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 01 सितम्बर 2017)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 28–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में ग्राम पाड़र थाना व तहसील मऊगंज 1227/7, 1227/9, 1242/1 स्थित भूमि के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया। प्रभारी

तहसीलदार सीतापुर तहसील मऊगंज के आदेश दिनांक 15–7–2009 को सीमांकन की पुष्टि की। अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 259/अ–12/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27–8–2009 के द्वारा निगरानी अग्राहय की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–8–12 के द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी सीमावर्ती कृषक को सूचना दी गई तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। मौके पर सीमांकन कार्यवाही दिनांक को सीमांकन किए जाने की डुग्गी पिटवाई गई थी। अनावेदक स्वतः सीमांकन कार्यवाही के समय मौजूद था व मौके के स्थल पंचनामा कार्यवाही में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। अनावेदक न तो सीमांकन में कोई त्रुटि बतला सका है और न ही उसे ऐसा कोई नुकशान होना ही दर्शाया है। सीमांकन के समय सीमांकित भूमि खाली थी तथा अनावेदक के भूमियों से कोई सरोकार नहीं था व उसकी भूमि पर अरहर की फसल खड़ी होने का कोई प्रभाव नहीं था। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर द्वारा भी की गई है परन्तु अपर आयुक्त ने प्रकरण में आई साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदक हितबद्ध पक्षकार होते हुये बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन की कार्यवाही संपादित की गई है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक की फसल खडी थी परन्तु फिर सीमांकन की कार्यवाही संपादित की गई जो अवैधानिक है। इसी कारण अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित था परन्तु उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। अनावेदक अभिभाषक का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है कि अनावेदक को किसी प्रकार की सीमांकन की सूचना नहीं थी। स्थल पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंदोबस्त मेड को आधार मानकर सीमांकन किया गया है जिसमें अनावेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैद्य कब्जा नहीं पाया है। स्थल पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन से अनावेदक का हितबद्ध होना प्रमाणित नहीं होता है। तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है। जहां तक अनावेदक को सुनवाई का अवसर देने का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा अनावेदक की आपत्ति पर विचार करने के उपरांत विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित करते हुये सीमांकन की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश से की है। परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तकनिकी आधारों पर अनावेदक की निगरानी को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश 15–7–09 निरस्त किया जाता है। अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 27–8–2009 एवं तहसीलदार प्रभारी सर्किल सीतापुर तहसील मऊगंज का आदेश दिनांक 15–7–09 स्थिर रखे जाते हैं।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर